न्यायालय-ए०के०गुप्ता,न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,गोहद जिला भिण्ड (म०प्र०)

1

<u>आपराधिक प्रक0क्र0</u>—881 / 2012

संस्थित दिनाँक-06.11.12

.....अभियुक्तगण

<u>—ः निर्णय ः—</u> {आज दिनांक 27.01.2018 को घोषित}

जिला भिण्ड म०प्र0

अभियुक्तगण पर भारतीय दंड संहिता 1860 (जिसे अत्र पश्चात "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 148/149, 294, 336, 506 भाग दो के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उन्होंने दिनांक 02.04.12 रात्रि एक बजे स्थान बस स्टैण्ड के पीछे वार्ड क0 9 पर सामान्य आशय के अग्रशरण में फरियादी के चाचा के स्वामित्व की दीवाल को गिराकर फरियादी को घातक हथियार बंदूक से सुसज्जित होकर भय कारित कर बलवा कारित किया, सार्वजिनक स्थान पर मां बहन के अश्लील शब्द उच्चारित कर फरियादी को क्षोभकारित किया, बंदूक, कट्टे व अधिया से हवाई फायर कर फरियादी का जीवन संकटापन्न कारित किया तथा फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर मृत्यु का भय उत्पन्न कर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

2. अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार से है कि दिनांक 02.04.2012 को रात्रि करीब एक बजे फरियादी दलवीर अपनी दुकान की छत पर लेटा था, पास ही में उसके चाचा दिलासाराम की जगह है जिसमें दो दिन पहले उन्होंने दीवाल उठा दी थी। उक्त समय एक सफेद रंग की बुलैरो से कुछ लोग आए और उक्त दीवाल को गिराने लगे, तो फरियादी छत से नीचे उतरकर आया और कहािक दीवाल क्यों गिरा रहे हो तो देखा कि अभियुक्तगण दीवाल गिरा रहे थे। थानिसंह बोला कि उसके

पास स्टे हैं, तो दीवाल क्यों बना ली। फिरयादी ने कहा है कि दो दिन पहले ही दीवाल बनाना बंद कर दिया तभी अभियुक्त थानसिंह ने दुनाली, गुड्डू ने माउजर तथा शेष अभियुक्तगण ने कट्टे व अधिया लेकर हवाई फायर किए जो उसकी दुकान एवं दिलासाराम की दीवाल में लगे। दीवाल में गोली लगने से एक पत्थर का टुकड़ा दाहिने कंधे पर लगा जिससे टीशर्ट पर दाग हो गया। फायर की आवाज सुनकर गजेन्द्र, रामेश्वर, रिंकू तथा भाई प्रहलाद आदि लोग आ गए और अभियुक्तगण जान से मारने की धमकी देकर भाग गए। उक्त आशय की रिपोर्ट से अप०क० 66/12 पंजीबद्ध किया गया। दौरान अनुसंधान नक्शामौका बनाया गया, साक्षियां के कथन लेखबद्ध किए गए, मेडीकल परीक्षण कराया गया, जब्दी कर जब्दी पत्रक तथा अभियुक्तगण को गिर० कर गिर० पत्रक बनाए गए। बाद अनुसंधान अभियोगपत्र न्यायालय में पेश किया गया।

2

- 3. अभियुक्तगण को पद क0 1 में वर्णित आशय के आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उनके द्वारा अपराध करने से इंकार किया गया। द०प्र०स० की धारा 313 के अधीन अभियुक्तगण ने अपने कथन में निर्दोष होना तथा झूंटा फंसाया जाना बताया।
- 4. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं -
 - 1. क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 02.04.12 रात्रि एक बजे स्थान बस स्टैण्ड के पीछे वार्ड क0 9 पर सामान्य आशय के अग्रशरण में फरियादी के चाचा के स्वामित्व की दीवाल को गिराकर फरियादी को घातक हथियार बंदूक से सुसज्जित होकर भय कारित कर बलवा कारित किया ?
 - 2. क्या अभियुक्तगण ने उक्त दिनांक, समय व सार्वजनिक स्थान पर मां बहन के अश्लील शब्द उच्चारित कर फरियादी को क्षोभकारित किया ?
 - 3. क्या अभियुक्तगण ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर बंदूक, कट्टे व अधिया से हवाई फायर कर फरियादी का जीवन संकटापन्न कारित किया ?
 - 4. क्या अभियुक्तगण ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर मृत्यु का भय उत्पन्न कर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?

<u> —:: सकारण निष्कर्ष ::–</u>

5. अभियोजन की ओर से प्रकरण में दलवीर अ०सा० 1, गजेन्द्रसिंह अ०सा० 2, कुलदीप अ०सा० 3, सुखवीर अ०सा० 4, नवरंगसिंह भदौरिया अ०सा० 5, डा० आलोक शर्मा अ०सा० 6, दिलासाराम अ०सा० 7, प्रहलादसिंह अ०सा० 8, रिंकू यादव अ०सा० 9 को परीक्षित कराया गया है, जबिक अभियुक्तगण की ओर से बचाव में कोई साक्ष्य पेश नहीं की गयी है। तथ्यों एवं साक्ष्य में उत्पन्न परिस्थितियों में पुनरावृत्ति के बचाव हेतु विचारणीय प्रश्नों का एक साथ निराकरण किया जा रहा है।

- 6. फरियादी दलवीरसिंह अ0सा0 1 यह कथन करते हैं कि घटना दिनांक 02.04.12 की रात्रि करीब एक बजे की है। उनका बस स्टैण्ड मीं पर दूसरा मकान हैं। उक्त मकान की छत पर सो रहे थे। रात्रि करीब एक बजे बुलेरो गाड़ी से 8–10 लोग आए और मकान की दीवाल गिराने लगे। जब वह वहां पहुंच गया और कहांकि क्या कर रहें हो तो वे लोग फायर करने लगे। थानसिंह ने 12 बोर, गुड्डू ने माउजर तथा शेष अभियुक्त प्रवीण और केदार ने कट्टे से फायर किया जिसका एक छर्रा उसे टीशर्ट में लगा। साथ में यह भी कथन करता है कि उसके छोटे भाई गजेन्द्र को घुटने में चोट आई, चाहे तो छर्रा लगा हो या गिरा हो। उसने पूछा कि दीवाल क्यों तोड रहे हो तो थानसिंह ने कहांकि उनके पास स्टे है, तुमने दीवाल क्यों बनाई। थानसिंह बोले कि तुम्हें बंदूक से यहीं मार देंगे। साक्षी घटना के संबंध में प्र0पी0 1 की रिपोर्ट किया जाना और उस पर अपने ए से ए भाग पर हस्ताक्षर होना प्रमाणित करता है। साक्षी अपने मुख्य परीक्षण में ही यह कथन करता है कि उसे इलाज के लिए पुलिस नहीं ले गयी। इस बिंदु पर साक्षी को अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछा गया तो साक्षी ने इस सुझाव के संबंध में ध्यान न होना बताया कि उसे घटना दिनांक को गोहद अस्पताल ले जाकर एमएलसी कराई थी या नहीं। साक्षी उसे दाहिने कंधे में चोट होना बताता है। साक्षी प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 3 में यह बताने में अस्मर्थ है कि उसे अस्पताल पुलिस सुबह ले गयी या शाम को ले गयी।
- 7. फरियादी दलवीर अ0सा0 1 अपने मुख्य परीक्षण में गजेन्द्र को घुटने में चोट आने का कथन करता है और स्वयं को बंदूक का छर्रा टीशर्ट में लगना बताता है। प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 4 में यह कथन करता है कि उसने अपनी पुलिस रिपोर्ट प्र0पी0 1 एवं पुलिस कथन प्र0डी0 1 में ऐसा नहीं लिखाया था कि दीवाल में गोली लगने से एक पत्थर का टुकड़ा उसके कंधे पर लगा। इसी कण्डिका में कथन करता है कि उसकी टीशर्ट कंधे पर से फट गयी थी और टीशर्ट में एक इंची का छेद हो गया था। पुनः स्पष्ट करता है कि छर्रे से उसकी बनियान में छेद हुआ था, पत्थर के टुकड़े से नहीं हुआ था। प्रकरण में अनुसंधानकर्ता नवरंगिसंह भदौरिया अ0सा0 5 अपने मुख्य परीक्षण में फरियादी दलवीर के पेश करने पर टीशर्ट हरे रंग की जिसकी कॉलर काले रंग की थीं, जब्तकर जब्दी पत्रक प्र0पी0 3 बनाए जाने का कथन करते हैं। यह साक्षी स्वीकार करते हैं कि उन्होंने जब्दी पत्रक प्र0पी0 3 में उसे जब्द किए जाने का स्थान उल्लेखित नहीं किया है। प्र0पी0 3 के जब्दी पत्रक में कथित टीशर्ट में दाहिनी बांह में काले रंग का धब्बा जैसा लगा होना लेख किया गया है, न कि किसी छेद हो जाने का कोई उल्लेख है। जहां दलवीर अ0सा0 1 अपने मुख्य परीक्षण में छोटे भाई गजेन्द्र को घुटने में चोट आने का कथन करते हैं किन्तु गजेन्द्र की कोई भी चिकित्सीय जांच कराए जाने का अभिलेख

संपूर्ण प्रकरण में नहीं हैं, जबिक मात्र फरियादी दलवीर अ०सा० 1 का चिकित्सीय परीक्षण अभिलेख पर है।

- 8. फरियादी दलवीर अ०सा० 1 अपने मुख्य परीक्षण में यह कथन करते हैं कि कथित बुलेरो गाडी से 8–10 लोग आए और मकान की दीवाल गिराने लगे। साक्षी उक्त तथ्य के संबंध में प्र०पी० 1 की रिपोर्ट लिखाए जाने का कथन करते हैं। जबिक स्वयं प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 5 में स्पष्ट करते हैं कि दस लोगों में और थे उन्हें वह नहीं पहचान पाए, जो अन्य भाग गए थे वे दीवाल तोड रहे थे, उनको वे नहीं पहचानते थे। यह भी कथन करते हैं कि आरोपीगण दीवाल नहीं तोड रहे थे। पुनः स्पष्ट करते हैं कि आरोपीगण को दीवाल तोडते नहीं देखा, बल्कि खडे देखा। इस प्रकार से फरियादी दलवीर के कथन में उसके पूर्वतन कथन के रूप में पुलिस रिपोर्ट प्र०पी० 1 एवं पुलिस कथन प्र०डी० 1 के संबंध में महत्वपूर्ण विरोधाभासी कथन किया गया है। जहां प्र०पी० 1 एवं प्र०डी० 1 में अभियुक्तगण द्वारा कथित दीवाल को तोडने के संबंध में तथ्य लेख किया है, जबिक स्वयं फरियादी अपने प्रतिपरीक्षण में अभियुक्तगण द्वारा दीवाल तोडने के संबंध में इंकार करता है।
- 9. प्रकरण में फरियादी दलवीर अ०सा० 1 अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 4 में स्पष्ट करते हैं कि जहां वे सो रहे थे वहां से घटनास्थल 20–30 फीट की दूरी पर है। साक्षी कण्डिका 3 में बताते हैं कि घटनास्थल से दिलासाराम और प्रहलाद उर्फ करू के घर की दूरी करीब एक किमी० है। इसी कण्डिका में स्पष्ट करते हैं कि उनके छोटे भाई करू एवं दिलासाराम ने थाने पर फोन अपने घर लोहारपुरा से किया तब पुलिस आ गयी, इसके बाद उनका भाई करू उर्फ प्रहलाद और दिलासाराम आ गए थे। इस तथ्य के संबंध में दिलासाराम अ०सा० 7 का कथन महत्वपूर्ण हैं, जो कि यह कथन करते हैं कि दिनांक 02.04.2012 को दलवीर अर्थात फरियादी ने आकर बताया कि रात को करीब एक बजे सफेद रंग की बुलेरो में 4–5 लोग अभियुक्तगण आए और प्लाट पर पश्चिम दिशा में बनी दीवाल को गिराने लगे और 4–5 फुट लंबी एवं डेढ फुट उंची दीवाल गिरा दी थी। साक्षी अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 2 में स्पष्ट करते हैं कि जिस समय घटना हुई उस समय वे घर पर सो रहे थे और घटना की सूचना उन्हें सुबह घर पर आकर दी थी। साक्षी प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 4 में स्पष्ट करते हैं कि उन्होंने पुलिस को कोई फोन नहीं लगाया और न हीं करू उर्फ प्रहलाद व फरियादी दलवीर ने उन्हें फोन पर कोई सूचना दी। साक्षी यह भी स्वीकार करते हैं कि वे रात को घटनास्थल पर नहीं गए। इस प्रकार से साक्षी दिलासाराम एवं फरियादी दलवीर अ०सा० 1 के कथनों में सारवान विरोधाभास है।
- 10. उक्त तथ्य के संबंध में जहां फरियादी दलवीर अ0सा0 1 उसके भाई प्रहलाद उर्फ करू के घटनास्थल से एक किमी0 दूर घर पर सोने और रिपोर्ट हेतु चले जाने के बाद थाने पर उन दोनों के आने का कथन करते हैं। इस संबंध में प्रहलाद अ0सा0 8 अपने अभिसाक्ष्य में यह कथन करते हैं कि

वे घटना की रात्रि को अपनी दुकान पर अपने भाई दलवीर, रिंकू गजेन्द्र व रामेश्वर के साथ छत पर सो रहे थे। यह भी कथन करते हैं कि वे सभी लोग अभियुक्तगण द्वारा फायर किए जाने पर दौड़कर नीचे आए तब अभियुक्तगण गाड़ी में बैठकर उन सबको मांदरचोद बहनचोद की गालियां देते हुए बोले कि अब दीवाल नहीं बनाना, नहीं तो तुम्हें जान से खत्म कर देंगे। साक्षी प्रहलाद अ०सा० 8 प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 2 में इस तथ्य से इंकार करते हैं कि ऐसा नहीं हुआ कि वे और चाचा दिलासाराम लोहारपुरा वाले घर में सो रहे थे और दलवीर का फोन आया कि जल्दी आ जाओ, यहां झगड़ा हो रहा है। साक्षी रात को ही दिलासाराम के घटनास्थल पर आ जाने का कथन करते हैं। जबिक दिलासाराम सर्वप्रथम तो फोन से घटना की जानकारी होने के तथ्य से इंकार करते हैं और प्रतिपरीक्षण में कण्डिका 7 में रात को घटनास्थल पर न जाने के संबंध में कथन करते हैं। इस प्रकार से उक्त तीनों साक्षियों की अभिसाक्ष्य में सारवान विरोधाभासी तथ्य प्रकट हुए हैं।

- 11. प्रकरण में यह तथ्य उल्लेखनीय हैं कि समस्त अभियोजन साक्षी दलवीर अ०सा० 1, गजेन्द्र अ०सा० 2, दिलासाराम अ०सा० 7, प्रहलादिसंह अ०सा० 8 तथा रिंकू यादव अ०सा० 9 एक ही परिवार के व्यक्ति हैं। अभियुक्तगण की ओर से रंजिश के कारण झूंठा फंसाए जाने का बचाव लिया है। साक्षी दलवीर अ०सा० 1 अपने प्रतिपरीक्षण की किण्डका 6 में स्वीकार करते हैं कि चाचा दिलासाराम ने नगर पंचायत मौ से मकान बनाने की मंजूरी ली थी जिसे कलेक्टर न्यायालय से अपील में थानिसंह को स्टे मिला था। दिलासाराम अ०सा० 7 अपने प्रतिपरीक्षण की किण्डका 5 में स्वीकार करते हैं कि निर्माण कार्य के संबंध में थानिसंह को स्टे मिला था, प्रहलाद अ०सा० 8 किण्डका 5 में उक्त तथ्य को स्वीकार करते हैं। गजेन्द्र अ०सा० 2 अपने प्रतिपरीक्षण की किण्डका 6 में उक्त तथ्य के संबंध में अनिभन्नता प्रकट करते हैं। और रिंकू अ०सा० 9 प्रतिपरीक्षण की किण्डका 3 में निर्माण कार्य के संबंध में थानिसंह द्वारा कलेक्टर कार्यालय से स्थगन लिए जाने के संबंध में इंकार करते हैं। इस प्रकार से साक्षीगण द्वारा स्वयं उनके चाचा दिलासाराम अ०सा० 7 द्वारा भूमि के संबंध में स्थगन के तथ्य के संबंध में स्वीकार किए जाने के बावजूद भी विरोधाभासी कथन कर निर्माण कार्य के संबंध में परस्पर विरोधाभासी तथ्य प्रस्तुत किया है।
- 12. फरियादी दलवीर अ०सा० 1 अपने अभिसाक्ष्य में उसे दाहिने कंधे में बंदूक के छर्रे की चोट आने के संबंध में कथन करते हैं। गजेन्द्र अ०सा० 2 भी घुटने में चोट आने का कथन करते हैं। जहां दलवीर उनका चिकित्सीय परीक्षण कब और कहां हुआ, यह बताने में अस्मर्थ हैं, वहीं गजेन्द्र अ०सा० 2 प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 5 में उनके एवं उनके भाई की चिकित्सीय जांच पुलिस द्वारा रात को ही मौ अस्पताल में कराए जाने का कथन किया गया है। अभियोजन की ओर से डा० आर० विमलेश अ०सा० 6 को प्रस्तुत किया गया, जो दिनांक 02.04.2012 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मौ में डा० हरीश हासवानी के साथ मेडीकल आफीसर के रूप में पदस्थ होने का कथन करते हैं। उक्त दिनांक

को फरियादी दलवीर का चिकित्सीय परीक्षण करने पर उसके दाहिने कंधे पर हल्का कठोरपन पाए जाने का कथन करते हुए, सख्त व भौथरी वस्तु से चोट आना प्रतीत होने एवं चिकित्सीय परीक्षण से 24 घण्टे की अवधि के भीतर चोट होने के संबंध में अभिमत दिए जाने का कथन करते हैं। प्र0पी0 10 का चिकित्सीय परीक्षण प्रतिवेदन डा० हरीश हासवानी द्वारा तैयार किए जाने और उस पर ए से ए भाग पर डा० हाशवानी के हस्ताक्षर होना बताते हैं। साक्षी आर० विमलेश अ०सा० 6 डा० हासवानी के हस्ताक्षर भारतीय साक्ष्य अधि० 1872 की धारा 47 के अधीन कारवार के सामान्य अनुक्रम में परिचित होने के आधार पर देते हैं। प्र0पी० 10 की रिपोर्ट एवं चिकित्सक द्वारा आहत दलवीर को कोई गोली के छर्रे की चोट का निशान पाए जाने के संबंध में अभिमत नहीं देते हैं और न हीं गजेन्द्र अ०सा० 2 के बताए अनुसार कोई चिकित्सीय परीक्षण दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार से फरियादी दलवीर अ०सा० 1 एवं साक्षी गजेन्द्र अ०सा० 2 के कथनों में चिकित्सीय साक्षी से पुष्टि नहीं होती है। साथ ही एक विरोधामासी एवं संदेहपूर्ण तथ्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होता है।

प्रकरण में दलवीर अ०सा० 1 घटना दिनांक को उसके अतिरिक्त छोटे भाई गजेन्द्र, रामेश्वर 13. तथा रिकूं के कथित पास में स्थित दुकान की छत पर मौजूद होने का तथ्य बताते हैं और कण्डिका 5 में कथन करते हैं कि रामेश्वर व रिंकू मकान के पीछे से ही भाग गए थे, वे घटनास्थल पर नहीं आए थे। रिंकू अ०सा० ९ जो कि अपने अभिसाक्ष्य में अपने पिता दलवीर के साथ दुकान में सोने का कथन करते हैं, उनके अलावा अपने साथ प्रहलादसिंह के भी सोने का कथन करते हैं। यह बताते हैं कि अभियुक्तगण ने दो दिन पहले बाबा दिलासाराम की दीवाल जो बनी थी, उसे तोड दिया और फायर किए। साक्षी यह कथन करता है कि आरोपीगण के फायर दिलासाराम की दीवाल पर लगा और एक पत्थर का टुकडा उसके पिता दलवीर के कंधे पर लगा जिससे दाग हो गया। साक्षी यह कथन करता है कि जब अभियुक्तगण बुलेरो में बैठकर जा रहे थे तब कह रहे थे कि जान से खत्म कर देंगे। साक्षी प्रतिपरीक्षण में कथित बुलेरो का नंबर न देख पाने और न हीं उसके चालक को न देख पाने का कथन करते हैं। साक्षी कण्डिका 5 में कथन करते हैं कि वे मकान के बाहर नहीं निकले, बल्कि गेट के पीछे छिपकर देख रहे थे, उनके साथ रामेश्वर और गजेन्द्र छिपकर खडे थे, जबिक गजेन्द्र घटनास्थल पर पहुंचने और घुटने में चोट लगने का कथन करते हैं। साक्षी कण्डिका 5 में कथन करते हैं कि रात अंधेरी थी। प्रकरण में कथित दुकान जिस पर फरियादी के सोने की जगह बताई गयी वह घटनास्थल दिलासाराम के प्लाट से 20-30 फुट दूर बताई गयी है, ऐसी में अंधेरी रात में साक्षी द्वारा उक्त घटना को कैसे देख लिया गया, इस संबंध में कथन स्पष्ट नहीं हैं। प्रहलादसिंह अ०सा० 8 अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 3 में स्पष्ट करते हैं कि जहां वे लोग सो रहे थे उस मकान से प्लाट दक्षिण दिशा में हैं और प्लाट के दक्षिण में तिराहा और उसी तिराहे पर मकान और मकान में बनी दुकान की छत पर सोना बताते हैं, प्लाट से 15 फीट का रास्ता इसके बाद उनका मकान जिसमें दुकान बनी होने का तथ्य बताते हैं और यह स्पष्ट करते हैं कि प्लाट के

उत्तर दिशा में कंछेदीलाल का मकान हैं इसके बाद 6 फुट की गली है इसके बाद बेताल यादव का मकान हैं, इसके बाद पिताजी का पुश्तैनी मकान हैं। इन मकानों की दीवालों पर कोई छर्रे न लगने का तथ्य स्वयं स्वीकार करते हैं। ऐसे में उक्त साक्षियों के कथन में महत्वपूर्ण विरोधाभास है।

- कथित घटना की रात्रि कैसी थी, इस संबंध में साक्षियों के कथन में विरोधाभास है। जहां 14. दलवीर अ0सा0 1 प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 4 में रात उजेली होने का कथन किया है वहीं दूसरी ओर गजेन्द्र अ०सा० २ प्रतिपरीक्षण की कण्डिका ४ में और रिंकू प्रतिपरीक्षण की कण्डिका ५ में रात अंधेरी होने का कथन करते हैं, जबकि दिलासाराम अ०सा० 7 और प्रहलाद अ०सा० 8 रात कैसी थी, यह बताने में अस्मर्थ हैं। साक्षियों के पुलिस कथनों से उनके न्यायालयीन कथनों में तात्विक विरोधाभास उत्पन्न हुआ है। किसी भी स्वतंत्र साक्षी के द्वारा कथित फायर होने की घटना का समर्थन नहीं किया गया है। साक्षियों द्वारा परस्पर विरोधाभासी कथन एवं घटना को बढ चढकर दर्शाने का प्रयास किया गया है। अभियुक्तगण से कोई भी आग्नेय आयुध जब्त नहीं हुआ है। जो कारतूस मौके पर जब्त होना बताए गए हैं, वे किस हथियार से चलाए गए, इस तथ्य के संबंध में अभियोजन की कोई साक्ष्य मौजूद नहीं हैं। जब्ती पत्रक प्र0पी0 3 रात्रि के 2:30 बजे बनाया जाना लेख किया गया है। अनुसंधानकर्ता नवरंगसिंह अ०सा० 5 रात को घटनास्थल पर न जाने और प्रथम बार केस डायरी सुबह 9:30 बजे प्राप्त होने का कथन करते हैं। जबकि जब्ती पत्रक प्रपी0 3 पर उनके सी से सी भाग पर हस्ताक्षर बताए हैं। गजेन्द्रसिंह अ०सा० २ जो कि प्र०पी० 3 के साक्षी हैं वे प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 5 में भाई की टीशर्ट घटनास्थल पर जब्त करने और इसके बाद थाने जाकर रिपोर्ट करने का कथन करते हैं। इस प्रकार से अनुसंधानकर्ता द्वारा की गयी कार्यवाही साक्षियों के अभिसाक्ष्य के विरोधाभासी है।
- 15. दाण्डिक विधि के अधीन अभियोजन को अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करना होता है अर्थात यदि एक सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति के मन में अभियुक्त के दोषी होने के संबंध में संदेह उत्पन्न हो जाए तो वह अपराध अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं कहलाता है। न्याय दृष्टांत जोश उर्फ पप्पाचान विरुद्ध पुलिस उपनिरीक्षक कोयीलैण्डी व अन्य ए०आई०आर० २०16 एस०सी० 4581: २०16—4 सी०सी०एस०सी० 1807 में हाल ही में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैरा 53 में यह मताभिव्यक्ति की है कि "विधि की पुरातन प्रस्थापना है कि सन्देह चाहे जितना भी गम्भीर हो, यह सबूत का स्थान नहीं ले सकता और यह कि अभियोजन दाण्डिक आरोप पर सफल होने के लिए "सत्य हो सकेगा" की परिधि में अपने मामले को दाखिल करने का साहस नहीं कर सकता, किन्तु उसे आवश्यक रूप से "सत्य होना चाहिए" के संवर्ग में उसे उद्धत करना चाहिए। दाण्डिक अभियोजन में, न्यायालय का यह सुनिश्चित करना कर्तव्य है कि मात्र अटकलबाजी या संदेह विधिक सबूत का स्थान ग्रहण नहीं करते और ऐसी स्थिति में, जहां उपलब्ध

साक्ष्य की पृष्टभूमि में युक्तियुक्त संदेह स्वीकार किया जाता है, न्याय की विफलता को निवारित करने के लिए संदेह का लाभ अभियुक्त को प्रदान किया जाना चाहिए। ऐसा संदेह आवश्यक रूप से युक्तियुक्त होना चाहिए न कि काल्पनिक, कल्पनापूर्ण, अमूर्त या अस्तित्वहीन, किन्तु जैसा कि निष्पक्ष, प्रज्ञापूर्ण और विश्लेषणात्मक मस्तिष्क द्वारा स्वीकार्य हो, कारण और सामान्य ज्ञान की कसौटी पर निर्णीत किया गया हो। दाण्डिक न्यायशास्त्र में प्राथमिक शर्त भी है कि यदि उपलब्ध साक्ष्य पर दो मत संभव है, जिनमें से एक अभियुक्त के अपराध को और दूसरा उसकी निर्दोषिता को निर्दिष्ट कर रहा है, तो अभियुक्त के पक्ष में मत को अंगीकार किया जाना चाहिए।"

- 16. उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में अभियोजन अपना मामला अभियुक्तगण के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। अभियुक्तगण संदेह का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः युक्तियुक्त संदेह से परे यह तथ्य प्रमाणित नहीं हैं कि अभियुक्तगण ने दिनांक 02.04.12 रात्रि एक बजे स्थान बस स्टैण्ड के पीछे वार्ड क0 9 पर सामान्य आशय के अग्रशरण में फरियादी के चाचा के स्वामित्व की दीवाल को गिराकर फरियादी को घातक हथियार बंदूक से सुसज्जित होकर भय कारित कर बलवा कारित किया, सार्वजिनक स्थान पर मां बहन के अश्लील शब्द उच्चारित कर फरियादी को क्षोभकारित किया, बंदूक, कट्टे व अधिया से हवाई फायर कर फरियादी का जीवन संकटापन्न कारित किया तथा फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर मृत्यु का भय उत्पन्न कर आपराधिक अभित्रास कारित किया। अतः अभियुक्तगण को संहिता की धारा 148/149, 294, 336, 506 भाग दो के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।
- 17. अभियुक्तगण की जमानत मुचलके भारहीन किए गए। दप्रस की धारा 437 ए के अधीन प्रस्तुत जमानत व बंधपत्र निर्णय दिनांक से 6 माह तक प्रभावी रहेंगे।
- 18. प्रकरण में जब्तशुदा टीशर्ट एवं बंदूक के खोखे मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् नष्ट किए जावें। एक 315 बोर का कारतूस अपील अवधि पश्चात् विधिवत निराकरण हेतु जिला दण्डाधिकारी भिण्ड को भेजा जावे। अपील होने पर मान0 अपील न्यायालय के आदेश का पालन हो।
- 19. अभियुक्तगण की अभिरक्षा अवधि, यदि कोई हो, तो उसके संबंध में धारा 428 का प्रमाणपत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर, हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित कर घोषित किया गया । मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

ए०के० गुप्ता न्यायिक मजिस्द्रेट प्रथम श्रेणी गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

ए०के० गुप्ता न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश AL PARENTA BUNTAL BUNTA

WILHOUT PAROLE SHATTING TO STATE OF STA